

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO.- 2026/193

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राखी व भू.अ. राखी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार समदडी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार समदडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	राखी	1096, 133, 1747 / 817, 1753 / 142, 1757 / 152, 828, 793, 290, 1251, 251, 253, 256, 259, 291, 314, 388, 389, 827, 179, 180	सांवलराम पुत्र गणेशाराम	सुरेन्द्र उर्फ सांवलराम पुत्र गणेशाराम

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)  
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/2025/ 190  
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 09.02.2026

1. तहसीलदार समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी सुरेन्द्र उर्फ सांवलराम पुत्र गणेशाराम जाति कलबी निवासी राखी तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।

उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

